13/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) 16/17

तारीख रजू— 06/07/17

1— केदार सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत पेशा काश्त निवासी ग्राम चितारा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
——प्रार्थी

बनाम

1— चेयरमेन अलोटमेंट कमेटी उप जिला कलेक्टर महोदय , सवाई माधोपुर।
2— भंवरबाई पत्नि दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चितारा तह0 जिला सवाई माधोपुर।
——अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक— 31-10-18

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14(4) एल0आर0एक्ट के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 06/01/2002 को ग्राम चितारा के आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 5 बीघा भूमि आंवटन की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 06/01/2002 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है तथा निरस्त योग्य है। आवंटी द्वारा आवदेन पत्र अपूर्ण भरा गया है। आवेदन पत्र में तस्दीक कॉलम खाली है तथा आवंटी का अगूंठा निशानी सही नहीं है। उक्त आवंटी भूमि में से 2 बीधा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। आवंटी को मौके पर कब्जा नहीं दिया गया सिर्फ कागजों में कब्जा दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के पास आवंटन के समय खं0नं0 387 रकबा 2.02 है0 भूमि थी जो कि उसके पुत्र नन्दसिंह , जोधराज सिंह, राजेन्द्र सिंह व पुत्री सुमन कंवर व अप्रार्थी संख्या 2 भंवरबाई के नाम थी। इसके अलावा इसके पुत्र राजेन्द्र सिंह के पास खाता सं0 385/638 खं0नं0 389/639 कुल रकबा 2 कुल क्षेत्रफल 1.26 है0 वाके ग्राम चितारा स्थित है एवं इसके अलावा 10 बीघा जमीन सिंचायचक को जोत रहे है। इस तरह अप्रार्थी सं0 2 व उसके परिवार के पास 15 बीघा से अधिक जमीन है जिसकी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कोई जांच पडताल न कर आवंटी के हक में आवंटन कर दिया जो न्यायोचित नहीं है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 06/01/2002 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा तीन सदस्यों विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार, संरपच ग्राम पंचायत चितारा व तहसीलदार सवाई माधोपुर की अनुशंषा पर आवंटन किया गया है तथा पटवारी रिपोर्ट में भी पटवारी गिरदावर व तहसीलदार सवाई माधोपुर ने उक्त आवंटन की अभिशंषा की है। उक्त आवंटन के पश्चात् पटवारी द्वारा आवंटी को मौके पर दो साक्षी के समक्ष कब्जा संभलवाया गया है। उक्त आवंटन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

14/A

काफी वर्ष पुराना है। वर्तमान में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। वकील रेस्पों0 का दौराने बहस कथन है कि वकील अपीलान्ट यह कथन बिल्कुल गलत है कि आवंटी आवंटन के समय भूमि हीन नहीं था। उसके पास 2.2 है0 भूमि थी। उक्त भूमि आवंटी व उसके तीन पुत्र तथा एक पुत्री के नाम है। इस प्रकार आवंटी के पैतृक हिस्से में केवल 0.40 है0 भूमि आती है जो 2 बीघा से कम है। इस प्रकार आंवटी भूमिहिन की श्रेणी में आती है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 06/01/2002 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलोच्य आंवटन आदेश दिनांक 06/01/2002 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आवंटन हुआ ,जिसे लगभग 16 वर्ष का अरसा हो गया है तथा उक्त आंवटन आदेश में आवंटन सलाहकार समिति के कोरम में उपस्थित संरपच, विकास अधिकारी, तहसीलदार की सिफारीश भी है तथा पटवारी कब्जा रिपोर्ट के अनुसार आवंटन के पश्चात् आवंटी को दो साक्षी के समक्ष कब्जा भी संभलवाया गया है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अतः मेरे अभिमत में उक्त आवंटन आदेश सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है, साथ ही अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में ग्राम चितारा में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06/01/2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.X.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर